

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

मुकदमा कन्हैयालाल विपक्षी ५६१ वाद ०१६ पत्रावली संख्या ३२३/२५ सन २०२६

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक :- ०१/०५/२०२६ पत्रावली पेश हुई। वादी स्वयं उप.। वादी द्वारा दिनांक ०१.०५.२०२६ को शर्पना पत्र बाद विडो का पेश किया गया। अधिवक्ता उ.सं.। द्वारा काउण्टर वाद में आगे कोई भी चाहने पर अंकित किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त पत्रकारान को खुला गया। स्वयं वादी उपस्थित होकर शर्पना पत्र विडो का पेश कर बाद को इसी स्तर पर विडो किये जाने का निवेदन किया। स्वयं वादी को बाद विडो का पद्वार सुनाया गया। निवेदन सुन समझकर खड़ी होना स्वीकार किया। अधि. उ.सं.। नी काउण्टर वाद को आगे नहीं चलाने के का पुनः निवेदन किया।

चूंकि स्वयं वादी अब इस वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा वाद को इसी स्तर पर विडो कर खारिज करवाना चाहता है। तथा अधिवक्ता उ.सं.। नी काउण्टर वाद पर कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। ऐसे में उक्त वाद को आगे चलाने जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वादी द्वारा उपर्युक्त शर्पना पत्र बाद विडो का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद इसी स्तर पर विडो समाप्त जाकर खारिज किया जाता है तथा उ.सं.। का काउण्टर वाद में स्वयं अधिवक्ता द्वारा आगे कार्यवाही नहीं चाहने के इसी स्तर पर होप किया जाकर खारिज किया जाते हैं। पत्रावली पर नोट होकर नमूने लेकन हो निवेदन सुनाया गया।

✓ मैं भए दावा नहीं
चलाना चाहता हूँ
कन्हैयालाल
०१/५/२०२६
मैं काउंटर पत्र
में आगे कोई
कार्यवाही नहीं
चाहता हूँ।
[Signature]



[Signature]
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली